

(11) 23-12-04

रजिस्ट्री सं० डी० एल-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1096]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 23, 2004/पौष 2, 1926

No. 1096]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 23, 2004/PAUSA 2, 1926

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2004

का.आ. 1404(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956(1956 का 48) की धारा 7 और 8क द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में पुणे - शोलापुर सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 9) पर 14/000 कि०मी० से 40/000 कि०मी० तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के भाग को, "चार लेन का बनाने और मजबूत बनाने" के उपयोग के लिए मैसर्स आर्यन टोल रोड प्राईवेट लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 501, दत्ताश्रम, हिंदू कालोनी, लेन नं० 1, दादर, मुंबई -400014 में है, के साथ 20 फरवरी, 2003 को हुए रियायत करार को ध्यान में रखते हुए उदगृहित, संग्रहीत और प्रतिधारित की जाएगी। "पुणे - शोलापुर मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 9) पर 14/000 कि०मी० से 40/000 कि०मी० तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के भाग को चार लेन का बनाने और मजबूत बनाने "निर्माण, प्रचालन और अंतरण के लिए और उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा के लिए यांत्रिक यानों पर फीस इसके नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर संग्रहित की जाएगी और उक्त "मैसर्स आर्यन टोल रोड प्राईवेट लिमिटेड " या उसके विधिक प्रतिनिधि को राजपत्र में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से और 10 मार्च, 2019 तक के लिए उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस का संग्रहण करने, प्रतिधारण करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

(राष्ट्रीय राजमार्ग सं० ९ के १४/०००कि०मी० से ४०/०००कि०मी० तक के चार लेन के भूखंड के उपयोक्ताओं से वसूली की जाने वाली फीस की दरें)

वर्ष	अवधि	फीस दर(प्रति यान प्रति फेरा रू में)		
		मोटर साइकिल, स्कूटर या अन्य कोई दुपहिया, यांत्रिक रूप से नोंदित यान	मोटर कार, टैक्सी, जीप, पिक अप वैन, स्टेशन वैन, ट्रैक्टर जिसमें ट्रैक्टर ट्रैलर, टैंपो, आटो रिकशा, तीन पहिया स्कूटर या ट्रैलर रहित स्वचालित हल्के यान	माल या सवारियों से लदे हुए या बिना लदे हुए बस, ट्रक, ट्रक ट्रैलर संयोजन यान सहित ट्रक, ट्रैलर लदा हुआ या बिना लदा हुआ , मोबाइल क्रेन, डोजर्स , अर्थ मूवर और रोड रोलर और अन्य यान
1	2	3	4	5
पहले से तीसरा वर्ष	राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 10/12/2007	शून्य	15.00	40.00
चौथे से छठा वर्ष तक	11/12/2007 से 10/12/2010	शून्य	15.00	45.00
सातवें से नौवें वर्ष तक	11/12/2010 से 10/12/2013	शून्य	20.00	55.00
१० वें वर्ष से आगे	11/12/2013 से 10/3/2019	शून्य	25.00	60.00

टिप्पण :

2. दी गई फीस वन वे ट्रिप के लिए "पुणे-शोलापुर मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सं० ९) पर १४/०००कि०मी० से ४०/०००कि०मी० चार लेन का बनाने और मजबूत बनाने " के लिए उपयोक्ताओं से प्रभारित की जाएगी ।

3. जब एक ही यान को एक दिन में एक से अधिक बार "पुणे-शोलापुर मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सं० ९) पर १४/०००कि०मी० से ४०/०००कि०मी० तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के भाग को चार लेन का बनाने और मजबूत बनाने " पार करना हो तो उपयोक्ता को यह विकल्प होगा कि वह पहली बार ही एक मार्गीय यात्रा के लिए अनुसूची में दी गई दरों का डेढ गुना का संदाय कर दे। यान का स्वामी एक ट्रिप के लिए फीस का तीस गुणे के बराबर फीस का संदाय करने पर मासिक पास का भी हकदार होगा । ट्रिप का अभिप्राय १४/०००कि०मी० से ४०/०००कि०मी० के परियोजना की संपूर्ण या आंशिक लंबाई को एक या दोनों चुंगी केन्द्रों को पार करने के लिए एक यात्रा होगा ।

4. अनुसूची में उपर्युक्त विनिर्दिष्ट फीस से निम्न प्रकार के यान छूट प्राप्त हैं , अर्थात:-

(i) गश्पा यान .

- (iii) पुलिस यान ;
- (iv) अग्नि शमन यान ;
- (v) एंबुलेस ;
- (vi) अन्त्येष्टि यान ;
- (vii) डाक व तार विभाग के यान; और
- (viii) ड्यूटी पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के यान ।

5. शासकीय रूप से निम्नलिखित के यान अति महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रतीक वाले यान समझे जाएंगे, अर्थात् :-

- (i) भारत के राष्ट्रपति ;
- (ii) भारत के उपराष्ट्रपति ;
- (iii) केन्द्रीय और राज्य मंत्री;
- (iv) लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान मंडलों के विपक्ष के नेता जिनको केबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हो ;
- (v) राज्यों के राज्यपाल ;
- (vi) केन्द्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर ;
- (vii) स्थानीय निर्वाचित निकायों के कार्यकारी पार्षद ;
- (viii) केन्द्रीय और राज्य विधान मंडलों के अध्यक्ष या सभापति ;
- (ix) सम्पूर्ण देश के संसद सदस्य, संसद द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र प्रस्तुत किए जाने पर ;
- (x) राज्य के विधान सभाओं/विधान परिषदों के सदस्य, राज्य विधान मंडल और राज्य विधान परिषदों द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र प्रस्तुत किए जाने पर ;
- (xi) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति ;
- (xii) सी डी(राजनयिक कारों) प्रतिक वाली कारों का उपयोग कर रहे भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक, और
- (xiii) शौर्य पुरस्कारों अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र , वीर चक्र, और शौर्य चक्र के विजेता, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुरस्कार अधिप्रमाणित करने वाले पहचान पत्र प्रस्तुत किए जाने पर ।

6. उपर्युक्त वर्णित दरें सभी चुंगी प्लाजाओं पर सहज दृश्य रूप में "पुणे-शोलापुर मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 9) पर 14/000कि0मी0 से 40/000कि0मी0 तक के भाग को चार लेन का बनाने और मजबूत बनाने " के दोनों ओर तथा चुंगी प्लाजाओं से 500 मीटर की दूरी पर सहज दृश्य रूप से प्रदर्शित की जाएगी । प्रदर्शित बोर्डों और अक्षरों का आकार ऐसा होगा जिससे कि चालक आसानी से प्रदर्शित बोर्डों को पढ़ सकें और वे अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में उन क्षेत्र में जहां ये भूखंड स्थित है , स्पष्ट रूप से लिखित या मुद्रित होंगे ।

7. उक्त "मैसर्स आर्यन टोल रोड प्राईवेट लिमिटेड " या उसका प्राधिकृत विधिक प्रतिनिधि फीस संग्रहीत की जाने के लिए संवायकर्ता को रसीद देगा ।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2004

S.O. 1404(E).— In exercise of the powers conferred by sections 7 and 8A of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby notifies that there shall be levied, collected and retained fees on mechanical vehicles, for the use of the "Four laning and strengthening of Pune-Solapur road (National Highway No.9) in the district Pune in the State of Maharashtra from Km.14/000 to Km.40/000" at the rates specified in the Schedule hereunder and having regard to the Concession Agreement dated 20th February 2003 entered into with M/s ARYAN TOLL ROAD PRIVATE LIMITED having its registered office at 501, Dattashram, Hindu Colony, Lane No.1, Dadar, Mumbai 400014; to build, operate and transfer the "Four laning and strengthening of Pune - Solapur road (National Highway No.9) from Km.14/000 to Km.40/000", and for service provided by it and hereby authorizes the said "M/s ARYAN TOLL ROAD PRIVATE LIMITED" or its authorized legal representative to collect and retain the fees on mechanical vehicles at the rates specified in the said Schedule from the date of publication of this notification in the Official Gazette and until the 10th March, 2019.

SCHEDULE

(Rates of fees to be recovered from users of the four lanes stretch from Km.14/000 to Km.40/000 of National Highway No.9)

Year	Duration	Toll Rates(Rs. per vehicle per trip)		
		Motorcycle, scooter or any other two-wheeler, mechanically propelled vehicle.	Motorcar, taxi, jeep, pick-up van, station wagon, tractor including tractor-trailers, tempo, auto rickshaw, three-wheeler scooter or auto driven light vehicles without trailer.	Bus, truck, truck trailer combination laden with goods or passengers or unladen, mobile crane, dozers, earth movers and road roller loaded or unloaded and other vehicles.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
From 1 st to 3 rd Year	From the date of publication in the official gazette to 10/12/2007	NIL	15.00	40.00
From 4 th to 6 th Year	11/12/2007 to 10/12/2010	NIL	15.00	45.00
From 7 th to 9 th	11/12/2010 to	NIL	20.00	55.00

Year	10/12/2013			
From 10 th Year onwards	11/12/2013 to 10/03/2019	NIL	25.00	60.00

NOTES:-

2. The fee set forth shall be charged to the users of the "Four laning and strengthening of Pune-Solapur road (NH-9) from Km.14/000 to Km.40/000" for a one-way trip.

3. When a vehicle has to use the "Four laning and strengthening of Pune-Solapur road (NH-9) from Km.14/000 to Km.40/000" more than once in a day, the user shall at his option be entitled to do so on payment of one and half times the fee at the rates as given in the Schedule for one way trip in the first trip itself. A vehicle owner shall also be entitled to a monthly pass on payment of fee equal to thirty times the fee for one-way trip. The trip shall mean unidirectional journey between Km.14/000 and Km.40/000 of project length, for full or part length crossing either one or both toll stations.

4. The following types of vehicles are exempted from the fee specified above in the Schedule, namely:-

- (i) Defence vehicles,
- (ii) Vehicles with VIP symbols,
- (iii) Police vehicles,
- (iv) Fire-fighting vehicle,
- (v) Ambulances,
- (vi) Funeral vans,
- (vii) Posts and Telegraph Department vehicles and
- (viii) Central Government and State Government vehicles on duty.

5. The vehicles officially belonging to the following shall be deemed to be vehicles having VIP symbols, namely:-

- (i) President of India,
- (ii) Vice-President of India,
- (iii) Central and State Ministers,
- (iv) Leaders of Opposition in Lok Sabha/Rajya Sabha/State Legislature having the status of Cabinet Ministers,
- (v) Governors of States,
- (vi) Lieutenant Governors of Union Territories,
- (vii) Executive Councilor of local elected bodies,
- (viii) Speakers or Chairman of Central and State Legislatures,
- (ix) Members of Parliament of the entire country on production of ID Card issued by the Parliament,
- (x) Members of Legislative Assemblies/Legislative Councils within the State on production of ID Card issued by the State Legislature and Legislative Council,
- (xi) Foreign dignitaries on State visit to India,
- (xii) Foreign Diplomats stationed in India using cars with CD(Car Diplomatic) symbols and

- (xiii) Winners of the Gallantry Awards namely, Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra on production of ID Card authenticating the Award by the Competent Authority.

6. The above mentioned rates shall be conspicuously displayed at the toll plazas and also at a distance of about 500 metres ahead of the toll plazas on either side of "Four laning and strengthening of Pune-Solapur road (NH-9) from Km.14/000 to Km.40/000". The height of the display boards and size of letters being such that it is easy for drivers to read the display boards and they shall be legibly written or printed in English, Hindi and other Regional language at the areas in which the stretch is situated.

7. The said "M/s ARYAN TOLL ROAD PRIVATE LIMITED" or its authorized legal representatives shall give a receipt to the payer for the fee collected.

[F.No. RW/NH-6/12037/17/2000-MAH]
DHANENDRA KUMAR, Secy.